राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 02 मार्च, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

(I) श्री अमराराम, राजस्व राज्यमंत्री, राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

राजस्व विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/2005/07 दिनांक 24.2.2016, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक : प.5(109)राज-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.9(15)राज-6/05पार्ट/08 दिनांक 24.2.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या:एफ.9(45)राज-6/2016/09 दिनांक 11.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा हॉल, पैट्रोल पम्प और चिकित्सा सुविधा तथा विस्फोटक मैगजीन प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का आवंटन एवं नियमितीकरण,) नियम, 1978 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.9(45)राज-6/2016/10 दिनांक 11.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया हैं ;

5- अधिसूचना संख्या:एफ.9(45)राज-6/2016/11 दिनांक 11.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान पास बुक (एग्रीकल्चर होल्डिंग्स) नियम, 1983 में संशोधन किया गया हैं ;

6- अधिसूचना संख्या:एफ.9(45)राज-6/2016/12 दिनांक 11.4.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014 में संशोधन किया गया हैं ;

7- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/13 दिनांक 20.4.2016, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2016 के दौरान नामान्तरण मामले निर्णित करने की पंचायत की शक्तियाँ तहसीलदारों को दी गई हैं ;

8- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/14 दिनांक 20.4.2016, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2016 की अवधि में उपखण्ड अधिकारियों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को कलक्टरों के निर्देश पर जिले में कार्यरत सहायक कलक्टरों को दी गई हैं ;

जारी..2..

9- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/15 दिनांक 22.4.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/13 दिनांक 20.4.2016 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया हैं ;

10- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/16 दिनांक 22.4.2016, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2016 के दौरान नामान्तरण मामले निर्णित करने की पंचायत की शक्तियाँ तहसीलदारों को दी गई हैं ;

11- अधिसूचना संख्या:एफ.9(126)राज-6/2012/17 दिनांक 28.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा-91 के अन्तर्गत तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों के लिये अधिकृत किया गया हैं ;

12- अधिसूचना संख्या:एफ.9(126)राज-6/2012/18 दिनांक 28.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-53 के अन्तर्गत भूमि विभाजन के लिये तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों के लिये अधिकृत किया गया हैं ;

13- अधिसूचना संख्या:एफ.9(126)राज-6/2012/19 दिनांक 28.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-260 की उप-धारा-(1) खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत समस्त नायब तहसलदारों को तहसीलदारों पर अधिरोपित समस्त कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार के भीतर करने के लिये अधिकृत किया गया हैं ;

14- अधिसूचना संख्या:एफ.9(68)राज-6/2010/20 दिनांक 13.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो बिजनेस एण्टरप्राईजेज स्थापित करने के लिये भू-आवंटन) नियम, 2011 में संशोधन किया गया हैं ;

15- अधिसूचना संख्या:एफ.6(25)राज-6/2014/21 दिनांक 17.5.2016, जिसके द्वारा आवंटन प्राधिकारी को स्कूलों, कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमियों के आवंटन हेतु अधिकृत किया गया है;

16- अधिसूचना संख्या:एफ.6(26)राज-6/2014/22 दिनांक 17.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया हैं ;

17- अधिसूचना संख्या:एफ.2(23)राज-6/2015/23 दिनांक 19.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 में संशोधन किया गया है ;

18- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/24 दिनांक 30.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया हैं ;

जारी..3..

19- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/25 दिनांक 30.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत चैप्टर-VII के प्रावधानों को तुरन्त प्रभाव से लागू किया गया हैं ;

20- अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.6.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए प्रतिकर पैकेज का निर्धारण किया गया है ;

21- अधिसूचना संख्या:एफ.1(43)राज-6/16/27 दिनांक 12.7.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कतिपय परिवीक्षाधीन सहायक अधिकारियों को कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थापित किया गया है ;

22- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/28 दिनांक 1.8.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियों समस्त तहसीलदारों को दिनांक 30.9.2016 तक दी गई हैं ;

23- अधिसूचना संख्या:एफ.1(158)राज-6/2015/पार्ट/29 दिनांक 17.8.2016, जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राधिकरण का गठन किया गया हैं ;

24- अधिसूचना संख्या:एफ.9(71)राज-6/2016/30 दिनांक 23.8.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.1(112)राज/3/88 दिनांक 25.3.1989 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया हैं ;

25- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/31 दिनांक 9.9.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के अन्तर्गत तहसील बदनोर, भीलवाड़ा में ऑनलाईन लैण्ड रिकॉर्ड का प्रावधान किया गया हैं ;

26- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/14/32 दिनांक 20.9.2016, जिसके द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के अवकाश अथवा पद रिक्त होने पर कतिपय लिंक अधिकारियों की नियुक्ति की गई हैं ;

27- अधिसूचना संख्या:एफ.6(26)राज-6/2014/33 दिनांक 6.10.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया हैं ;

28- अधिसूचना संख्या:एफ.2(16)राज-6/2016/34 दिनांक 25.10.2016, जिसके द्वारा ग्रामदानी ग्राम जावंधजूनी, तहसील जैसलमेर के खसरा नं0 115 रकबा 26.08 बीघा किस्म बंजड में से 0.18 बीघा भूमि के प्रबन्धन से ग्राम सभा को निनिर्हित की गई हैं ;

29- अधिसूचना संख्या:एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/35 दिनांक 16.11.2016, जिसके द्वारा श्री रामनारायण नागवा को 3 वर्ष के लिये राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया हैं ;

जारी..4..

30- अधिसूचना संख्या:एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/36 दिनांक 5.12.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड में कतिपय सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं ; एवं

31- अधिसूचना संख्या:एफ.1(96)राज-6/2016/37 दिनांक 8.12.2016, जिसके द्वारा तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का नायब तहसीलदारों को दिनांक 13.12.2016 से प्रारम्भ होने वाली मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

<u>महिला एवं बाल विकास विभाग</u>

(II) श्रीमती अनिता भदेल, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.16(1)(40)डी.डब्ल्यू.ई./डब्ल्यू.पी.सी./डायन-प्रताड़ना/2015-16/पार्ट-1/18330 दिनांक 08 सितम्बर, 2016, जिसके द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला अधिकारिता के समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगी।

<u>(ख) वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्त एवं विनियोग लेखे</u>

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2015-2016 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(III) डॉ0 जसवन्त सिंह यादव, श्रम एवं नियोजन मंत्री, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-27(5) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान के वार्षिक लेखे व पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, 2011-2012 तथा 2012-2013 एवं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 तथा 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

<u>3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन</u>

(I) श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2016-2017 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति, 2015-16 के 88वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 149वां प्रतिवेदन ।

जारी..5..

2. जनलेखा समिति, 2015-16 के 68वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 150वां प्रतिवेदन ।
3. जनलेखा समिति, 2015-16 के 59वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 151वां प्रतिवेदन ।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.4.6 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 152वां प्रतिवेदन ।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 2.3.2.1 में समाविष्ट वन, कला एवं संस्कृति, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, उद्योग एवं पर्यटन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 153वां प्रतिवेदन ।
6. जनलेखा समिति, 2015-16 के 79वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 154वां प्रतिवेदन ।
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट अनुच्छेदों पर परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 155वां प्रतिवेदन ।
8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.1 से 3.9.3 पर परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 156वां प्रतिवेदन ।
9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 2.6 वित्त, उद्योग, देवस्थान तथा सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 157वां प्रतिवेदन ।
10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.6 तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.3.1 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 158वां प्रतिवेदन ।
11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2012-13 के भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 159वां प्रतिवेदन ।

जारी..6..

12. जनलेखा समिति, 2014-15 के दूसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 160वां प्रतिवेदन ।
13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.4.3 युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 161वां प्रतिवेदन ।
14. जनलेखा समिति, 2015-16 के 84वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 162वां प्रतिवेदन ।
15. जनलेखा समिति, 2015-16 के 107वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 163वां प्रतिवेदन ।
16. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.2.3 एवं 3.4.5 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 164वां प्रतिवेदन ।
17. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 2.5 गृह विभाग तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4.2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 165वां प्रतिवेदन ।
18. जनलेखा समिति, 2015-16 के 99वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 166वां प्रतिवेदन ।
19. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.2 तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 167वां प्रतिवेदन ।
20. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 2.2 गृह विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 168वां प्रतिवेदन ।
21. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 2.3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 169वां प्रतिवेदन ।

जारी..7..

22. जनलेखा समिति, 2015-16 के 75वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 170वां प्रतिवेदन ।
23. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 104वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 171वां प्रतिवेदन।
24. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 3.1.1, 3.2.5, 3.4.1 एवं 3.4.2 कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 172वां प्रतिवेदन ।
25. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.3 एवं 3.6 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 173वां प्रतिवेदन ।
26. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.1 एवं 3.7 वन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 174वां प्रतिवेदन ।
27. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 97वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 175वां प्रतिवेदन।
28. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.1 कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 176वां प्रतिवेदन ।
29. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 72वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 177वां प्रतिवेदन।
30. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 73वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 178वां प्रतिवेदन।
31. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4 इंदिरा गांधी नहर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 179वां प्रतिवेदन ।
32. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 108वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 180वां प्रतिवेदन।
33. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 181वां प्रतिवेदन ।

जारी..8..

34. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 182वां प्रतिवेदन ।

35. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट प्रतिवेदन संख्या 5 के अध्याय 7 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.13 खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 183वां प्रतिवेदन ।

36. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 76वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 184वां प्रतिवेदन।

(II) श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 2016-2017, समिति के चतुर्थ परिपालनात्मक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

1- तहसील बस्सी, जिला जयपुर में ट्रोमा सेन्टर खुलवाने बाबत् ।

2- तहसील बस्सी, जिला जयपुर में राजकीय बालिका महाविद्यालय खुलवाने बाबत् ।

(II) श्री अर्जुनलाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ट्रोमा सेन्टर स्थापित कर जनता को पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराईं (अजमेर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(IV) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा मुख्यालय के रेलवे फाटक सांचौर एलसी-114 पर ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(V) श्री पब्बाराम बिश्नोई, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र फलोदी, उपखण्ड मुख्यालय बाप, जिला-जोधपुर में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(VI) श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में रोडवेज के स्थायी बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(VII) डॉ0 मंजू बाघमार, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र जायल(नागौर) में वर्तमान बस स्टैण्ड का विस्तार किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

जारी..9..

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की आर से उत्तर

श्रीमती अलका सिंह (वि.सं.-14), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा :-

> "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 01 मार्च, 2017